सत्यमेव जयते

संख्या– /जी0एस0/शिक्षा/A11-22/2018

प्रेषक,

रमेश कुमार सुधांशु,
कुलाधिपति के सचिव।

सेवा में,

कुलसचिव,
श्री देव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय,
बादशाहीथौल, टिहरी गढ़वाल।

राज्यपाल/कुलाधिपति सचिवालय उत्तराखण्ड देहरादून : दिनांक : 25 फरवरी, 2019

महोदय,

कृपया अपने पत्र संख्या 3735 /Affi-2017-18 दिनांक 30.11.2018 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा शिवालिक इन्स्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज, शेरपुर शिमला बाईपास, देहरादून को बी0एड0 (द्विवर्षीय) पाठ्यक्रम में सत्र 2018–20 (अर्थात सत्र 2018–19 एंव सत्र 2019–20) की अस्थाई सम्बद्धता विस्तारण का प्रस्ताव कुलपति जी की संस्तुति के साथ इस सचिवालय को उपलब्ध कराया गया है।

2– प्रश्नगत सम्बद्धता प्रस्ताव के सम्बन्ध में निरीक्षण मण्ड़ल व कुलपति जी की संस्तुति के दृष्टिगत श्री देव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय अधिनियम 2011 (यथा संशोधित) के अध्याय–6 की धारा–33 (1) के अन्तर्गत मा0 कुलाधिपति जी द्वारा निम्नानुसार सैद्धान्तिक सहमति/अनुमोदन प्रदान किया गया है :–

(1) सत्र 2018–19 के बी0एड0 (द्विवर्षीय) पाठ्यक्रम में (100 सीटों हेतु) सम्बद्धता के सम्बन्ध में छात्रों के भविष्य एवं वर्तमान में सत्र अभी समाप्त न होनें के दृष्टिगत मा0 राज्यपाल/कुलाधिपति महोदया द्वारा सैद्धान्तिक सहमति इस उपबन्ध के साथ दी गई है कि सम्बद्धता सम्बन्धी अन्तिम निर्णय विश्वविद्यालय की कार्यपरिषद, यू0जी0सी0 विनियमों के अनुसार लेते हुए तद्नुसार सम्बद्धता सम्बन्धी आदेश जारी करने का निर्णय ले।

(2) सत्र 2019–20 में बी0एड0 (द्विवर्षीय) पाठ्यक्रम में (100 सीटों हेतु) अस्थाई सम्बद्धता प्रस्ताव पर पूर्वानुमोदन इस आशय से दिया गया है कि सम्बद्धता सम्बन्धी आदेश विश्वविद्यालय की कार्यपरिषद द्वारा जारी किया जायेगा।

3– कुलाधिपति/शासन/विश्वविद्यालय द्वारा समय–समय पर स्वयं या अपने प्राधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से संस्था का निरीक्षण किया जा सकता है और पाठ्यक्रम हेतु सम्बन्धित नियामक संस्था एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित किये गये मानकों/आदेशों का अनुपालन न करने पर संस्था के विरूद्ध यथोचित कार्यवाही की जायेगी।

4– कृपया तद्नुसार विश्वविद्यालय अधिनियम/परिनियम की व्यवस्था के अन्तर्गत संस्थान की सम्बद्धता हेतु अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

भवदीय,

(रमेश कुमार सुधांशु)
कुलाधिपति के सचिव।

संख्या 4491 (1)/जी0एस0/शिक्षा/A11-22/2018 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

1. सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2. निदेशक, उच्च शिक्षा, हल्द्वानी।
3. निदेशक, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्, उत्तर क्षेत्रीय समिति, चतुर्थ तल, जीवन निधि–II एल0आई0सी0 बिल्डिंग भवानी सिंह मार्ग अम्बेडकर सर्किल, जयपुर राजस्थान–302005।
4. प्रबन्धक/प्राचार्य, सम्बन्धित संस्थान।
5. कम्प्यूटर प्रकोष्ठ/गार्ड फाइल हेतु।

(विक्रम सिंह यादव)
कुलाधिपति के संयुक्त सचिव।